न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 पत्र / 32 / 2020

1–बहादुरसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी सांतरूक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल शान्ति नगर (भूड का बाग) दयाल बाग आगरा (उ0प्र0)

......प्रार्थी

बनाम

1–रनवीरसिंह पुत्र रघुनाथ जाति जाट निवासी सांतरूक तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ।

2–सुशीला मीणा,उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर जिला भरतपुर ।

....असल अप्रार्थी0

3–सुभाषचंद पुत्र रमेश जाति जाट निवासी ग्राम सांतरूक तहसील कुम्हेर

....तरतीवी अप्रार्थी

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरूद्व उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर श्रीमति सुशीला मीणा आर0ए0एस0 ,प्रा0प्र0 212 आर0टी0ए0 सं0 54 / 2019 व दावा सं0 89 / 2019 उनवानी बहादुरसिंह बनाम रनवीर ।

निर्णय **दिनांक 28.10.2020**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि एक दावा सं0 89 / 2019 उनवानी बहादुरसिंह ।बनाम रनवीरसिंह वगै0 मय प्रार्थना पत्र सं0 54 / 2019 अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के न्यायालय में विचाराधीन है,जिसमें मौके की यथास्थिति बावत टी0आई0 जारी किया हुआ है । प्रार्थना पत्र 212 [illegible] टी0आई0 में दिनांक 13.10.2020 नियत थी । अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में नजदीक तारीख पेशी किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया,उस प्रार्थना [illegible] के अभिभाषक को नहीं दी गई और ना ही नजदीकी तारीख पेशी की [illegible] पेश किये गए प्रार्थना पत्र के जबाव हेतु मौका दिया गया बल्कि बिना सुने [illegible] नजदीक पेशी क[illegible] । पीठासीन अधिकारी ने कहा है कि इस मुकदमे में क्या है ? अगर निर्माण कार्य कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। इसे तो मैं खारिज करूंगी । अप्रार्थी सं01 के पुत्र को पीठासीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:26:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अधिकारी के चैम्बर में जाते हुए देखा है । अप्रार्थी सं01 के पुत्र ने न्यायालय
परिसर में ही प्रार्थी को यह धमकी दी है कि हमने उपखण्ड अधिकारी से बात
करली है अब तुरन्त ही अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करा देंगे । इस प्रकार
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुशीला मीणा से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।
अतः दावा संख्या 89/2019 आर0टी0ए0 में लगाए गए प्रार्थना पत्र संख्या
54/2019 आर0टी0ए0 उनवानी बहादुर बना रनवीर को श्रीमति सुशीला मीणा
उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर की अदालत से किसी अन्य सक्षम अदालत में मुन्तकिल
किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। उपखण्ड
अधिकारी कुम्हेर से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी सं0 1 जरिये अभिभाषक
उपस्थित आए और अपना जबाव पेश किया । उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से प्राप्त
टिप्पणी भी शामिल मिसिल की गई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रकरण में दिनांक
13.10.2020 तारीख पेशी नियत थी । प्रार्थी के अभिभाषक को अप्रार्थी द्वारा दिए गए
नजदीकी तारीख पेशी के प्रार्थना की न तो नकल दी गई और न इस बावत कोई
नोटिस आदि दिया गया । पीठासीन अधिकारी बिना कानूनी प्रकिया अपनाए प्रकरण
को निस्तारित करने पर अमादा है। अप्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ
करली है इस कारण प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद
नहीं है । अतः उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के न्यायालय से किसी
अन्य समकक्ष अदालत में मुन्तकिल कर दिया जावे।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना
पत्र के तथ्य मनगढंत व असत्य हैं। नजदीकी तारीख पेशी हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के अभिभाषक को नियमानुसार नोटिस जारी
किये गए हैं । जिसमें दिनांक 01.09.2020 नियत की गई लेकिन दिनांक 01.09.2020
काक अवकाश होने से दिनांक 02.09.2020 को पत्रावली पेशी पर आने पर प्रार्थी के
अभिभाषक के स्वयं के द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 में बहस हेतु दिनांक 08.
09.2020 पेशी ली गई है । प्रकरण में प्रार्थी द्वारा एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त
कर रखी है । उक्त स्थगन आदेश को निरस्त न होने के उद्देश्य से यह प्रार्थना
पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिली
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को [illegible] लम्बित करने का इरादा है ।
पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोप निराधार हैं । अन्त में अप्रार्थी
अभिभाषक द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:26:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

हमने उभय पक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी पर गौर किया । प्राथी के अभिभाषक का यह कथन कि **"प्रार्थी के अभिभाषक को अप्रार्थी द्वारा दिए गए नजदीकी तारीख पेशी के प्रार्थना पत्र की न तो नकल दी गई और न इस बावत कोई नोटिस आदि दिया गया"।** मान्य नहीं है,क्योंकि उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के पत्रांक 651 दिनांक 23.10.2020 के साथ प्राप्त संलग्न नोटिस एवं पत्रावली की आदेशिका की छाया प्रति से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के अभिभाषक को नियमानुसार दिनांक 26.08.2020. को सूचित करने हेतु नोटिस मय प्रार्थना पत्र की प्रति के भेजा गया है ,जिसे अभिभाषक द्वारा लेने से इंन्कार होना नोटिस की प्रति पर अंकित है । इससे जाहिर है कि प्रार्थी के अभिभाषक नजदीकी तारीख पेशी से सूचित थे । इसके अतिरिक्त पत्रावली की आदेशिक दिनांक 02.09. 2020 में अंकित है कि " **पत्रावली प्रार्थना पत्र नजदीक ता0पेशी किये जाने पर पेश हुई।वकील उभय पक्ष को सुना गया अतः प्रकरण में नियत दि0 13.10.2020 के स्थान पर दिनांक 08.09.2020 नियत की जाती है "।** अर्थात न्यायालय द्वारा नजदीक तारीख पेशी दोनों पक्षों के अभिभाषकगणों को सुनकर ही की गई है ।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश लिया हुआ है इस कारण प्रार्थी का उद्देश्य प्रकरण के निस्तारण को अनावश्यक रूप से लम्बित करने का प्रतीत होता है । प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे पीठासीन अधिकारी पर लगाये गए आरोपों की पुष्टि होती हो । प्रार्थी की मंशा विचाराधीन प्रकरण को लम्बित किये जाने की प्रतीत होती है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मगढंत व निराधार होने से खारिज किये जाने योग्य पाते हैं ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्राथी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28–10–2 लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:26:13 IST
Reason: SelfAttested

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,
भरतपुर